न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 6/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00015)

1. गोपीराम पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी ग्राम नीचूनिया तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राज0।

—रेस्पोंडेन्ट्स

द्वितीय अपील विरूद्ध निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 27.11.2017 बअपील संख्या 95/2017 उनवानी गोपीराम बनाम सरकार

उपस्थित—

1. श्री उमेश गौड, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक —08.10.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 27.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पटवारी हल्का गोपालपुरा के प्रतिवेदन पर अपीलान्ट को आराजी खसरा नं. 199/18 रकबा 4 बीघा किस्म चारागाह व आराजी खसरा नं. 191/17 रकबा 4 बीघा सिवायचक भूमि वाके ग्राम निचूनियां तहसील रामगढ पचवारा पर संवत 2074 में अतिक्रमण कर काश्त करने का दोषी करार देकर आदेश दिनांक 30.08.2017 द्वारा लगान की 50 गुना शास्ति एवं 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित किये गये। अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा के उक्त निर्णय दिनांक 30.08.2017 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के यहां अपील प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 27.11.2017 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा का निर्णय दिनांक 30.08.2017 को यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज करने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 27.11.2017 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट गोपीराम पुत्र रामपाल द्वारा यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 27.11.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा के समक्ष पटवारी हल्का गोपालपुरा द्वारा अपीलांट के विरूद्ध प्रतिवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अपीलांट ने आराज खसरा नम्बर 199/18 रकबा 4 बीघा व आराजी खसरा नम्बर 191/17 रकबा 4 बीघा सिवायचक भूमि वाके

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

ग्राम निचूनिया पर संवत 2074 में अतिक्रमण कर काश्त की है। तहसीलदार रामगढ पचवारा ने अपीलांट को धारा 91 रा0भू0रा0 अधि0 सूचना पत्र प्रेषित किया। अपीलांट ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपीलांट ने चरागाह भूमि पर कोई काश्त नहीं की। सिवायचक भूमि पर अपीलांट का कब्जा अरसा 50 वर्ष पूर्व से चला आ रहा है। तहसीलदार ने पूर्व में अपीलांट के पक्ष में भूमि नियमन करने की भी सिफारिश की हुई है। पटवारी हल्का ने चरागाह पर अतिक्रमण के संबंध में अपीलान्ट के विरूद्ध गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। क्योंकि अपीलांट की आराजी पर जबरन डोली तोडकर सडक निर्माण की क्षतिपूर्ति हेतु अपीलांट ने वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। तहसीलदार जी ने अपीलांट की प्रार्थना पत्र पर गौर किये बिना अपीलांट को 1876/–रूपये के अर्थदण्ड व 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश दिनांक 30.08.2017 को पारित फरमा दिया। अपीलान्ट ने उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अधिनस्थ अपील न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे प्रश्नगत निर्णय द्वारा निरस्त फरमाकर तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष में विगत 50 वर्ष से सिवायचक भूमि पर कब्जे को गैर मुमकिन नला अभिलेख में अंकित होने के कारण नियमन योग्य नहीं मानकर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर अपील अपीलांट निरस्त फरमाकर विधिक एवं न्यायिक त्रुटि की है। भूमि पर अपीलांट निरन्तर निर्बाध काश्त करता है गैर मुमकिन नला की भूमि मौके पर विधमान नही है। कब्जे काश्त के संबंध में अभिलेखीय प्रमाण पत्र पर विश्वास नहीं कर विपरीत निष्कर्ष निकालकर तहसीलदार के आदेश विरूद्ध की गई अपील को निरस्त करने का निर्णय न्यायोचित नहीं होने के कारण खण्डनीय है। तहसीलदार जी ने अपीलांट की फसल को नष्ट करवाया था एवं शास्ती जमा करने के बावजूद सजा निश्चित की है। अपीलांट 77 वर्षीय वृद्ध एवं अशक्त व्यक्ति है। 27 वर्ष की आयु से सिवाय चक भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अपीलांट की जीविकापार्जन का मुख्य आधार कृषि उपज है। अपीलांट की आयु तथा सिवायचक भूमि पर निरन्तर निर्बाध आधिपत्य पर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने अपील अपीलांट निरस्त फरमाकर तथ्यात्मक एवं न्यायिक त्रुटि कारित की है। अपीलांट द्वार जायज हक के लिए राज्य सरकार जरिए जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विकास अधिकारी के विरूद्ध न्यायालय में वाद संस्थित किया है, जिसमें तहसीलदार रामगढ पचवारा अधिकृत अधिकारी है। तहसीलदार जी ने अपीलांट को नाराजगी के कारण दण्डित फरमाया है। आदेश के विरूद्ध अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुचित रूप से निरस्त फरमाया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय एवं तहसीलदार रामगढ पचवारा के आदेश को निरस्त फरमाया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। अतः अपील सेवा में समय सीमा में प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 27.11.2017 निरस्त फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा आराजी खसरा नं. 199/18 रकबा 4 बीघा किस्म चारागाह व आराजी खसरा 191/17 रकबा 4 बीघा गैर मुमकिन नला सिवायचक भूमि वाके ग्राम निचूनियां तहसील रामगढ पचवारा पर संवत 2074 में तिल, ग्वार, बाजरा व मूंगफली काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 30.08.2017 द्वारा लगान की 50 गुना शास्ति एवं 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट प्रश्नगत भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पटवारी हल्का गोपालपुरा द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा के समक्ष इस आशय के पेश की गई कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा आराजी खसरा नं. 199/18 रकबा 4 बीघा किस्म चारागाह व आराजी खसरा 191/17 रकबा 4 बीघा गैर मुमकिन नला सिवायचक भूमि वाके ग्राम निचूनियां तहसील रामगढ पचवारा पर संवत 2074 में तिल, ग्वार, बाजरा व मूंगफली सम्वत 2074 में अतिक्रमण कर काश्त कर ली है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा ने अपीलान्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्णय दिनांक 30.08.2017 पारित कर अपीलान्ट को कब्जाशुदा आराजी से बेदखल कर 50 गुणा शास्ति आरोपित करते हुये फसल निलामी करने एवं अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलान्ट द्वारा पूर्व में सम्वत 2073 में भी अतिक्रमण किया गया था जिसको बेदखल किया जाना व्यक्त किया गया है। जिससे यह साबित होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि का आंवटन अपीलान्ट को हो जाने के सम्बन्ध में किये गये कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत सिवायचक भूमि को नियमन योग्य बताया गया है। जबकि उक्त भूमि की किस्म पटवारी हल्का द्वारा गैर मुमकिन नला अंकित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखली की रिपोर्ट संलग्न है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है, जबकि कानून राजकीय चरागाह एवं सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। अपीलान्ट द्वारा उक्त राजकीय चरागाह एवं सिवायचक भूमि पर संवत 2073 के समय से अतिक्रमण किया था। जिसे बेदखल करने के पश्चात् पुनः राजकीय चरागाह एवं सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे वह पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। ऐसे में राजकीय चरागाह एवं सिवाय भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया हैं, जिससे अपीलार्थी राजकीय चरागाह एवं सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह बनाम पंजाब सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार के प्रकरणों में पारित निर्णयों के अनुसार चरागाह तथा गैर मुमकिन नाले की भूमियों का आंवटन एवं नियमन नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2017 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 08.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर